फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम भादरा

हनुमान आदि बनाम लक्ष्मी

किस्म मुकदमा **RTAct. 212** नं० 32/01.07.2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
01.07.2021	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिरेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 06.08.2021 तक जारी की जाती है कि चक 8 बारानी के खाता संख्या 278/267 के मु0नं0 7 के किला नं0 14 ता 17, 24, 25 मु0नं0 8 के किला नं0 19 ता 22, मु0नं0 11 के किला नं0 1 मु0नं0 12 के किला नं0 4, 5 कुल किता 13 कुल क्षेत्रफल 3.289 हैक्टेयर व खाता संख्या 58/56 के मु0नं0 7 के किला नं0 3,6 ता 8 मु0नं0 8 के किला नं0 8 ता 13 व 18, 23 मु0 नं0 11 के किला नं0 2, 3, 14 कुल क्षेत्रफल 3.542 हैक्टेयर बारानी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के हक व हिस्से तक इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाता है कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। वकील प्रार्थी तामिल हेतु तीन दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीदें पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। आगामी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.08.2021 को पेश है।	

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला – हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested

|21

वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते...
दिनांक 17/8/21 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
27/3/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश [illegible] दिनांक 27/5/24 को पेश हो।
27/05/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी की तलबी रजिस्ट्री डाक से करवाकर आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23/07/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 27/05/24
23/7/24	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते... ता.त. दिनांक 14/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
14/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 15/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
15/1/25	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते... तलबी दिनांक 26/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
26/3/25	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते. तलबी अंतिम अवसर दिनांक 28/4/25 को पेश हो।
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील प्रतिवादी पाबन्द रजिस्टर्ड रसीद व लिफाफा वापस पेश नहीं किया। वकील वादी ने तलबी हेतु [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु.। प्रतिवादीगण स्वयं अनु.। आवाज लगाई गई। बार-2 आवाज लगाने पर भी कोई हाजिर नहीं आया। अतः पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नतीजे [illegible] मुरत्तब कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:05:06 IST
Reason: SelfAttested